



# जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्दौली

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के धारा 9 के अन्तर्गत गठित)

## विज्ञप्ति/सूचना

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में जनपद न्यायाधीश/अध्यायक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्दौली के आदेश दिनांक 01.04.2025 के अलोक में मुख्यालय तथा विभिन्न तहसीलों में पराविधिक स्वयं सेवकों (पी0एल0वी0) की नियुक्तियां की जानी हैं। नियुक्ति के लिए निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए:-

1. आवेदक भारत का नगरिक हो।
2. आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
3. न्यूनतम अर्हता कक्षा-10 उत्तीर्ण हों।  
(ऐसे व्यक्ति जो कम्प्यूटर संचालन में योग्य हों, उनके पास व्यक्तिगत मोबाईल/स्मार्ट फोन की सुविधा हो, एवं चार पहिया वाहन चालक हो को वरीयता दी जायेगी तथा पी0एल0वी0 का चयन उन व्यक्तियों में से किया जाएगा जो पी0एल0वी0 के रूप में अपनी सेवाओं से प्राप्त होने वाली आय को नहीं देखते हैं, लेकिन उनके पास करुणा, सहानुभुति और चिंता के साथ समाज में जरूरतमंदों की सहायता करने की मानसिकता होनी चाहिए। समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के उत्थान में रुचि रखते हों।)
4. पराविधिक स्वयं सेवकों का कार्यकाल 01 वर्ष का होगा। प्रतिकूल आवरण पर 01 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है।
5. पराविधिक स्वयं सेवकों के पद शासकीय सेवा में नियुक्त नहीं माना जायेगा और वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चन्दौली में मानदेय के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे।
6. पराविधिक स्वयं सेवक निम्न में से किसी योग्यताधारक के रूप में आवेदन कर सकता है:-
  - क). किसी भी सरकारी अथवा प्राइवेट स्कूल, कालेज के कार्यरत अथवा शैक्षणिक अथवा शैक्षणिक अध्यापक या लेक्चरर।
  - ख). किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ कार्यकर्ता /आशाबहु, शिक्षाशास्त्र, सोशल सर्विसेज एवं ह्यूमेनिटीज के विद्यार्थी जो स्नातक या परास्नातक कर रहे हों।
  - ग). सरकारी अथवा प्राइवेट डाक्टर/सरकारी कर्मचारी/किसी भी विभाग के फील्ड आफ्सीर।
  - घ). गैर राजनैतिक अथवा प्राइवेट संस्थान/एन.जी.ओ. के सदस्य/वालन्टियर व सामाजिक कार्यकर्ता।
  - च). को-आपरेटिव सोसाइटी के सदस्य /ट्रेड यूनियन के सदस्य आदि।
  - छ). विधि की छात्र/छात्राएं जो शिक्षारत हों एवं अधिवक्ता के रूप में जब तक पंजीकरण न हुआ हों।
  - ज). ऐसे व्यक्ति जो किन्नर (ट्रांसजेंडर) हैं, वो भी पराविधिक स्वयं सेवक हेतु आवेदन कर सकते हैं।
7. चयनित पराविधिक स्वयं सेवक को प्रत्येक माह में अधिक से अधिक 20 दिन का मानदेय प्राप्त होगा।
8. पराविधिक स्वयं सेवकों को निर्धारित मानदेय रु 400.00 प्रतिदिन की दर से देय होगा।

पराविधिक स्वयं सेवक के रूप में कार्य करने के इच्छुक, आवेदक दिनांक 28/04/2025 को साय 3:00 बजे तक नियत प्रारूप पर स्पष्ट शब्दों में भर कर शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव प्रामाण पत्रों की छायाप्रति, मय नदीन पत्रों पासपोर्ट साईज सहित कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चन्दौली में प्रस्तुत कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के द्वारा किया जायेगा। साक्षात्कार की तिथि की सूचना पृथक से दी जायेगी। नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। नियत आवेदन प्रारूप हेतु नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायालय चन्दौली की वेब साइट पर प्राप्त किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चन्दौली के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

उक्त विज्ञप्ति को निःशुल्क प्रकाशन करने का कष्ट करे।

(विकास बंस 2025)  
अपर जनपद न्यायाधीश/सांघेव  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
चन्दौली।

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्दौली के द्वारा मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर पराविधिक स्वयं सेवक (पी0एल0वी0) पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

(आवेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से भरा जाना है)

1. आवेदित पद का नाम .....

2. आवेदक/आवेदिका का नाम .....

3. पिता/पति का नाम.....

4. वर्तमान पता .....

मोबाईल और फोन नं0 .....

ई-मेल आइ.डी. ....

5. स्थाई पता (पते के प्रमाण की प्रति संलग्न करें).....

6. अंको में ..... जन्म तिथि शब्दों में .....

7. शैक्षिक योग्यता (स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र छायाप्रति के साथ) .....

8. अनुभव (यदि हो तो प्रमाण पत्र की छायाप्रति) .....

दिनांक :

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

स्थान :

घोषणा

मैं ..... यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी सूचना मेरी जानकारी में सत्य है। मेरे विरुद्ध किसी थाने में कोई अपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है और न ही किसी सक्षम न्यायालय द्वारा मुझे दण्डित किया गया है। यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय।

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर